

## प्रेस विज्ञप्ति

निगम भिलाई क्षेत्र के दुकानदारों/व्यवसायियों को सूचित किया जाता है। कि वे अपने दुकान के सामने रखे सामान को 3 दिवस के भीतर हटा कर अपने दुकाने भीतर रख लेवे अन्यथा 3 दिन पश्चात् दुकान के बाहर रखे गये समानों की जब्ती की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जावबदारी दुकानदारों/व्यवसायियों की होगी।

निगम क्षेत्र में जिन व्यवसायियों/दुकानदारों द्वारा आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर अतिरिक्त कब्जा कर निर्माण किया गया है वे भी अपना अतिरिक्त कब्जा 3 दिवस के भीतर हटा लेवे अन्यथा निगम द्वारा अतिरिक्त अवैध कब्जा हटाने कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित दुकानदारों की होगी।

निगम भिलाई क्षेत्र के चार पहिया एवं दो पहिया वाहन दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने दुकान के सामने वाहन खड़ी न रखे दुकान के समाने वाहन रखे पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी दुकानदारों / व्यवसायियों की होगी

**आयुक्त महोदय के आदेशानुसार**

**राजस्व अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई**